

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी.एम.पी. संख्या 430/2019

धनेश पंडित @ धनेश्वर पंडित, उम्र- 60 वर्ष, पिता- स्वर्गीय मंगरू पंडित, निवासी ग्राम-खंडरा, पोस्ट एवं थाना - महागामा, जिला - गोड्डा।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, पोस्ट एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका।
3. उपायुक्त, गोड्डा, पोस्ट एवं थाना - गोड्डा, जिला-गोड्डा।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा, पोस्ट एवं थाना - गोड्डा, जिला - गोड्डा।
5. मौजा खंडारा के सोलह आना रैयत, पोस्ट एवं थाना महागामा, जिला - गोड्डा।

... .. उत्तरदाता

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ताओं की ओर से : सुश्री रजनी सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता -राज्य की ओर से : श्री भास्कर त्रिवेदी, एस.सी.।।। के ए.सी.

आदेश सं. 04 : दिनांक 29 जुलाई, 2021

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले को सुना गया।

सुश्री रजनी सिंह, याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि की रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 6807/2017 को मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल करके इस तत्काल सिविल विविध याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाए। ऐसा न होने पर याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।

एस.सी.।।। के ए.सी. श्री भास्कर त्रिवेदी ने उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होकर निवेदन किया है कि यदि इस रिट याचिका को उसकी मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

यह न्यायालय, इस तत्काल सिविल विविध याचिका में दिए गए कारण और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के द्वारा प्रस्तुत वचनबंध पर विचार करते हुए रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 6807/2017 को मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल करना उचित और युक्तियुक्त पाती है, जिसमें कहा गया है कि रिट याचिका की पुनर्बहाली की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर 01.03.2019 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए कार्यालय द्वारा इंगित दोषों का निराकरण कर लिया जाएगा।

इसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त दोषों को दूर करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका, डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 6087/2017 को उसकी मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल किया जाता है।

दिनांक 01.03.2019 को पारित डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 6087/2017 को यहां ऊपर बताए अनुसार संशोधित किया जाता है।

तदनुसार, तत्काल सिविल विविध याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)

अलंकार/-